an>

Title: Need to pass a law from the Parliament and provide reservation to dalits.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सप्ताह अनुसूचित जाति एवं जनजाति फोरम का एक प्रतिनिधि मंडल आरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों से संबंधित पड़े सभी मुद्दों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया है। जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर का दायरा बढ़ रहा है, उससे दलितों के रोजगार के अवसर दिन-प्रतिदिन संकुचित होते जा रहे हैं। यहां तक की क्लास-फोर सर्विसेज में तो वन-थर्ड नौकरियां आउटसोर्सिंग एवं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भरी जानी लगी हैं। आरक्षण से संबंधित 85वें संविधान संशोधन को हर रोज कोर्ट में चुनौतियाँ दी जा रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप दलित कर्मचारियों की प्रमोशन की बजाय डिमोशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। ...(व्यवधान)

माननवर, इन सब पर रोक लगाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि दलितों के आरक्षण को बचाने के लिए एक संविधान संशोधन बिल संसद से पास कराया जाये। एक अभियान चलाकर बैकलॉग को पूरा किया जाये। मैं मांग करता हूं कि दलितों के आरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों को एक कानून पास करके संविधान की नौवीं सूची में लाया जाये ताकि दलित समाज की समस्याओं का हल हो सके।

14.28 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS...Contd.